खबर न्याय अन्याय की...

जजमेंट आजतक

वर्ष 1, पृष्ठ 12, सहयोग राशि :₹5/- सम्पादकः अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट लखनऊ 2011, अंक-IV

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

खरी-खरी

दिल्ली को मिनी भारत कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरे देश (कश्मीर से कन्याकुमारी तक) से लोग आते हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराधों, बलात्कार, मर्डर, चोरी आदि पर देश के गृहमंत्री पी. चिदम्बरम का यह बयान कि बाहर से आये लोग (माइग्रेटेड) विशेषकर उत्तर प्रदेश व बिहार के कारण यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं मात्र अर्ध सत्य हैं। पूर्ण सत्य न सही इस अर्धसत्य के लिए भी वे बधाई के पात्र हैं।

पूर्ण सत्य तो ये है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनैतिकता, असमानता के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से आये 543+245 नेता ही जिम्मेदार हैं।

चिदम्बरम जी, यह अर्धसत्य कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए माइग्रेटेड लोग जिम्मेदार हैं बिना यह सोचे समझे बोल गये (क्योंकि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग बोलते पहले हैं सोचते बाद में हैं, वैसे भी नेता की जुबान लम्बी दिमाग छोटा होता है) अब दूसरों की तो छोड़िए उनकी नेता तो 'सुपर माइग्रेटेड' हैं वे देश के दूसरे प्रांत से नहीं बल्कि दूसरे देश से आयी हैं।

जब चिदम्बरम का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया तो उन्होंने फौरन अपना बयान वापस लिया (क्योंकि थूक कर चाटना नेता का अतिविशेष गुण होता है) इसलिए कि अगर न लेते तो कुर्सी जाने का खतरा पैदा हो जाता।

इस तरह के बयान महाराष्ट्र विशेषकर मुम्बई के लिए जो देश की आर्थिक राजधानी है ठाकरे परिवार से आते हैं या अब राजनीतिक राजधानी दिल्ली के लिए गृहमंत्री पी. चिदम्बरम का आया। लेकिन इस तरह के बयान देने वाले लोग भूल रहे हैं कि दिल्ली हो या मुम्बई किसी के बाप की बपौती नहीं है पूरे देशवासियों का इन पर बराबर का हक है और इन्हीं बाहरी लोगों की बदौलत इनका वजूद भी है।

मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चिदम्बरम का ये बयान 'कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा' की धारणा को मजबूत करता है।❑

प्रोन्नति में आरक्षण आँख बन्द करके नहीं

○अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

आरक्षण, योग्यता के मखमल पर अयोग्यता के टाट का पैबन्द है। आरक्षण से गुणवत्ता प्रभावित होती है यह निर्विवाद है, यही कारण है कि देश के सात सर्वोच्च महत्व वाले संस्थान आरक्षण की परिधि से बाहर रखे गये हैं। हर वर्ग जाति में योग्य लोगों की कमी नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का चयन सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत भी होता है। योग्यता किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष की मोहताज नहीं होती है इसका साक्षात उदाहरण बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर हैं जिन्हें संविधान तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था उनकी योग्यता, प्रखर चेतना एवं बुद्धिमत्ता के अधार पर न कि आरक्षण के तहत। बाबा साहेब का सपना दलितों को सिर्फ सरकारी नौकरी दिलाना नहीं था बल्कि उनको योग्य बनाकर सम्पूर्ण विकास करना था। उनका सपना चकनाचूर हुआ है क्योंकि आरक्षण से वर्टीकल विकास हुआ होरिजेन्टल नहीं।

सरकारी नौकरी में प्रोन्नति के समय परिणामी लाभ देकर दुबारा आरक्षण लाभ देने के सरकार की नीति को जोर का झटका जोर से ही लगा है। माननीय न्यायमूर्तिद्वय प्रदीप कान्त एवं ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में जारी संशोधित आरक्षण नीति के नियम 8-A को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने वाला अहम फैसला दिया है।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा 14 सितम्बर 2007 को जारी इस संशोधित नियम के कारण सभी विभागों की वरिष्ठता सूचियां संशोधित हो रही थीं जिसके कारण पहले जो अधिकारी/कर्मचारी वरिष्ठ थे वे कनिष्ठ हो रहे थे तथा कनिष्ठ वरिष्ठ इससे पूरा ताना-बाना गड़बड़ा रहा था। इससे क्षुब्द होकर प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की बाद में पचास अन्य याचिकाओं को भी सिमिलर केस होने के कारण इससे सम्बद्ध कर दिया गया।

याचिकाकर्त्ताओं की ओर से सर्व श्री S.K.Kalia, Senior Advocate, Dr. L.P.Misra, Rajan Roy, Samir Kalia, K.S. Pawar, Ramesh Pandey, Sandeep Dixit, P.K. Srivastava, B.K. Yadav, Pankaj Gupta, Upendra Nath Misra, Sharad Bhatnagar, Ashutosh Singh, Shishir Jain, Farid Ahmad, Umesh Chandra Pandey, S.M.Royekwar, Amit Bose, N.K. Panday, B.K. Singh, Sudeep Seth, Rajesh Tiwari, Vikas Budhwar, Arvind Kumar, S.C. Shukla, Alok Mathur, Deepak Seth and Vivek Raj Singh. तथा विपक्षी सरकार एवं अन्य की ओर से सर्व श्री R.N. Trivedi, Senior Advocate, P.N. Gupta, C.S.C, Mahesh Chandra, K.S.Pawar, Manish Kumar, Brijesh Kumar Jatav, S.C. Yadav, Sanchit S.Asthana, Anand Swaroop Rai, I.P. Singh, P.N. Gupta, उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. कालिया ने प्रभावपूर्ण बहस करते हुए पीठ को बताया कि इस संशोधित नियम के लागू हो जाने के कारण सरकारी महकमें में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों/ कर्मचारियों को दोबारा आरक्षण का लाभ मिल रहा है इसी के साथ परिणामी लाभ देने के कारण वे वरिष्ठ पदों पर आसीन हो रहे हैं तथा पहले से आसीन अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी/ कर्मचारी कनिष्ठ हो जा रहे हैं जिसके कारण समय से पहले आरक्षित श्रेणी के अधिकारी/ कर्मचारी वरिष्ठ पदों पर कब्जा कर ले रहे हैं, यदि इस नियम को रद्द न किया गया तो आने वाले समय में 2011-12 तक सभी बड़े पदों पर सिर्फ आरक्षित श्रेणी के लोग ही रहेंगे जिससे सारा सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो जायेगा। अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए कालिया जी ने यह भी कहा कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14,16(1) 16(4), 16(4ए) व 335 की मूल भावना के विपरीत भी है।

वरिष्ठ अधि. एस.के. कालिया

सरकार की ओर से इन याचिकाओं की पोषणीयता (Maintainability) को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि इस मामले में

मा. न्यायमूर्ति प्रदीप कान्त

मा. न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी

इसी उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों (माननीय न्यायमूर्तिद्वय शिव कुमार सिंह एवं सभाजीत यादव) की पीठ ने इलाहाबाद में **याचिका सं. 63127/2010, मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य** को खारिज करते हुए नियम 8-A को वैध ठहराया है तथा इस पीठ पर यह निर्णय बाध्यकारी है इसलिए मात्र इस वजह से ही ये सभी याचिकाएं खारिज होने योग्य हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा 'The said judgment of this Court at Allahabad is *per incuriam'* तथा यह बाध्यकारी नहीं है इसके लिए भी कई तर्क दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क था कि 'The Division Bench did not find it necessary to ask the State Government whether they have complied with the directives issued in the case of *M. Nagraj*, for which neither time was granted to seek instructions to the learned Chief Standing Counsel nor to file a counter affidavit. जो कि एक महत्वपूर्ण आधार है।

अपने साठ पृष्ठों से अधिक के इस फैसले में माननीय न्यायमूर्तिद्वय ने केस के सभी पक्षों पर प्रकाश डालते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है।

विपक्षियों की मुख्य आपत्ति तथा जजमेंट के *per incuriam* को Decide करते हुए न्यायमूर्तिद्वय ने कहा 'A judgment can be said to have been rendered *per incuriam* when it is passed in ignorance of the relevant provisions of the Act or the Rules, if it suffers from any apparent mistake, it is against any statutory provision of law which provision has not been considered nor discussed or when it is not in consonance with the judgment of Apex Court or so to say, it is against the law laid down by the Apex Court, which is binding on all the Courts, under Article 141 of the Constitution. Reference can be made to following cases.

शेष पेज 3 पर...